

डज़ाइन कानून संधि (DLT)

प्रलिस कर लयि:

[वशिव बौद्धकि संपदा संगठन \(WIPO\)](#), [डज़ाइन कानून संधि \(DLT\)](#), [औद्योगकि डज़ाइन](#), [बौद्धकि संपदा](#), [डज़ाइन अधनियम, 2000](#), [ट्रपिस समझौता](#), [ट्रेडमार्क](#), [कॉपीराइट अधनियम, 1957](#) |

मुख्य परीक्षा के लयि:

बौद्धकि संपदा अधिकारों की सुरक्षा |

[स्रोत: पी.आई.बी](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारत सहति [वशिव बौद्धकि संपदा संगठन \(WIPO\)](#) के सदस्य देशों ने [सऊदी अरब के रयाद](#) में आयोजति डज़ाइन कानून संधिको संपन्न करने और अपनाने के लयि राजनयकि सम्मेलन में [डज़ाइन कानून संधि \(डीएलटी\)](#) को अपनाया |

भारत की बौद्धकि संपदा की स्थति

- **भारत की नवाचार रैंकिग:** WIPO के [वैश्वकि नवाचार सूचकांक \(GII\) 2024](#) में भारत को **133** अर्थव्यवस्थाओं में **39वाँ** स्थान प्राप्त हुआ है |
 - मध्य और दक्षिणी एशया की 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत **प्रथम** स्थान पर रहा है |
- **भारत की वैश्वकि IP रैंकिग:** भारत सभी तीन प्रमुख बौद्धकि संपदा अधिकारों- **पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगकि डज़ाइन** के लयि वैश्वकि शीर्ष **10** में स्थान पर है |
 - वर्ष 2023 में **64,480** पेटेंट आवेदनों के साथ भारत **वशिव स्तर पर छठे** स्थान पर है |
 - भारत का ट्रेडमार्क कार्यालय **वशिव में सक्रयि पंजीकरणों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या रखता है**, जसिमें **3.2** मिलियन से अधिक ट्रेडमार्क पंजीकृत हैं |
 - भारत के औद्योगकि डज़ाइन अनुप्रयोगों में वर्ष 2023 में **36.4%** की वृद्धि होगी |
- **IP गतविधि में वृद्धि:** भारत का **पेटेंट- जीडीपी अनुपात पछिले दशक में 144 से बढ़कर 381 हो गया है**, जो आर्थकि वकिस के अनुरूप IP गतविधिके वस्तितार को दर्शाता है |
 - पेटेंट-जीडीपी अनुपात पेटेंट गतविधिके आर्थकि प्रभाव का एक माप है |

डज़ाइन कानून संधि (DLT) क्या है?

- **DLT के बारे में:** DLT को वशिव में **औद्योगकि डज़ाइनों की सुरक्षा को सुव्यवस्थति और सुवधायनक बनाने के लयि एक व्यापक ढाँचे के रूप में प्रस्तावति कया गया है** |
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य लालफीताशाही को दूर करने तथा डज़ाइनरों के लयि अपनी बौद्धकि संपदा की सुरक्षा हेतु एक वशिवसनीय और आसानी से संचालति होने योग्य प्रणाली स्थापति करना है |


प्रमुख प्रावधान:

- **डज़ाइन आवेदन प्रक्रयाओं को सुव्यवस्थति करना:**
 - **उपयोग:** एक आवेदन में **एकाधिक डज़ाइन की अनुमतप्रदान करता है**, तथा मूल रूप से दाखलि करने की तथिको सुरक्षति रखता है, भले ही कुछ अस्वीकार कर दयि जाएँ |
 - **स्पष्ट अनुप्रयोग आवश्यकताएँ:** सभी डज़ाइन अनुप्रयोगों के लयि **एक समान, स्पष्ट दशा-नरिदेश स्थापति करता है** |

- प्रतनिधित्व में लचीलापन: आवेदक औद्योगिक संपत्तिकार्यालयों के समक्ष डज़ाइन प्रस्तुत करने के लिये विभिन्न प्रारूपों (चित्र, फोटो, वीडियो) का उपयोग कर सकते हैं।
- आवेदन करने की प्रक्रिया में सुधार:
 - दाखलि संबंधी समय सीमा का सरलीकरण: आवेदक प्रारंभ में आवश्यक भागों को जमा करके दाखलि करने की तथि सुरक्षति कर सकते हैं, बाद में संपूर्ण आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
 - सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिये अनुग्रह अवधि: छह या 12 महीने की अनुग्रह अवधि, दाखलि करने से पहले प्रकट कथि गए डज़ाइनों की नवीनता की रक्षा करती है।
- पंजीकरण के बाद की प्रक्रिया और सुरक्षा:
 - प्रकाशन नथितरण: आवेदक आवेदन दाखलि करने के बाद छह महीने तक प्रकाशन को नथितरति कर सकते हैं, जसिसे गोपनीयता एवं प्रतसिपर्द्धात्मक लाभ सुनश्चिति होता है।
 - समय सीमा में चूक होने पर राहत उपाय : समय सीमा से चूकने वाले आवेदकों को राहत प्रदान की जाएगी, जसिसे उनके अधिकारों का नुकसान रोका जा सकेगा।
 - अनुदान-पश्चात लेनदेन स्पष्ट : पंजीकरण-पश्चात प्रक्रियाएँ (जैसे, स्थानांतरण, लाइसेंसिंग) आसान प्रबंधन और प्रवर्तन के लिये स्पष्ट रूप से परिभाषित की जाएगी।
- द्वि-स्तरीय संरचना: संधि में अनुच्छेद (संधि के मुख्य प्रावधान) और नथिम (कार्यान्वयन को नथितरति करने वाले वनियिम) शामिल होंगे।
 - अनुबंधकारी पक्षों की सभा डज़ाइन कानून और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के अनुकूल होने के लिये नथिमों में संशोधन कर सकती है।

औद्योगिक डज़ाइन क्या है?

- परिचय: औद्योगिक डज़ाइन एक सजावटी प्रकृतिकी मौलिक रचना है, जसि जब कसिी उत्पाद में शामिल कथि जाता है या उस पर लागू कथि जाता है, तो वह उसे विशेष रूप प्रदान करता है।
 - ये विशेषताएँ इसके आकार, रेखाओं, रूपरेखा, वनियाम, रंग, बनावट या सामग्री के कारण हो सकती हैं।
 - एक डज़ाइन त्रि-आयामी हो सकता है, जैसे कसिी उत्पाद का आकार, या द्वि-आयामी हो सकता है, जैसे कसिी वशिषिट सतह पैटर्न में।
 - यह एक बौद्धिक संपदा (IP) है जो मानव मसत्थिक की अमूर्त रचनाएँ हैं जनिका मूल्य है लेकिन वे भौतिक वस्तुएँ नहीं हैं।
- अनुप्रयोग: डज़ाइनों को उत्पादों की एक वसितृत शृंखला पर लागू कथि जाता है, जैसे पैकेजिंग, फरनीचर, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, चकितिसा उपकरण, हस्तशलिप वस्तुएँ और आभूषण।



- महत्त्व: डज़ाइन व्यावसायिक परसिपत्तियाँ हैं जो कसिी उत्पाद के बाज़ार मूल्य को बढ़ा सकती हैं और प्रतसिपर्द्धात्मक लाभ प्रदान कर सकती हैं।
 - उत्पादों को उपभोक्ताओं के लिये आकर्षक बनाकर, डज़ाइन उपभोक्ता की पसंद को प्रभावित करता है।
- संरक्षण: डज़ाइनरों को उस देश के बौद्धिक संपदा (IP) कार्यालय द्वारा नरिधारित फाइलिंग प्रक्रियाओं का पालन करना होगा जसिमें वे संरक्षण चाहते हैं।
 - डज़ाइन अधिकार प्रादेशिक होते हैं, अर्थात् कसिी एक देश (या क्षेत्र) में प्राप्त संरक्षण से उत्पन्न अधिकार उस देश (या क्षेत्र) तक ही सीमित होते हैं।
 - भारत में औद्योगिक डज़ाइनों का पंजीकरण और संरक्षण डज़ाइन अधनियिम, 2000 द्वारा प्रशासित कथि जाता है।
- भारत में औद्योगिक डज़ाइन: वर्ष 2014-24 के बीच भारत में डज़ाइन पंजीकरण में तीन गुना वृद्धि हुई, अकेले पछिले दो वर्षों में घरेलू पंजीकरण में 120% की वृद्धि हुई है।
 - उल्लेखनीय रूप से, वर्ष 2023 में डज़ाइन अनुप्रयोगों में 25% की वृद्धि हुई।


वशि्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO)

- परिचय: WIPO संयुक्त राष्ट्र की एक वशिषि एजेंसी है जसि वर्ष 1967 में रचनात्मक गतविधि को प्रोत्साहित करने और वशि्व भर में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिये बनाया गया था।
- भूमिका : IP की सुरक्षा के लिये सेवाएँ प्रदान करना, IP से संबंधित मुद्दों के लिये मंच प्रदान करना, तथा वैश्विक नरिणय लेने में मार्गदर्शन के लिये डेटा और सूचना प्रदान करना।

- सदस्यता : इसके 193 सदस्य देश हैं। भारत वर्ष 1975 में WIPO में शामिल हुआ।

डज़ाइन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत संरक्षण प्रावधान क्या हैं?

- पात्रता: यदि डज़ाइन सौंदर्यपरक प्रकृतिके हैं और वस्तुओं पर लागू होते हैं तो उन्हें संरक्षित किया जाता है।
 - संरक्षण केवल वस्तु के सौंदर्य पर लागू होता है, उसके कार्यात्मक पहलुओं पर नहीं।
 - संरक्षण प्राप्त करने के लिये डज़ाइन को डज़ाइन रजिस्ट्री में पंजीकृत होना चाहिये।
- सुरक्षा हेतु आवश्यकताएँ:
 - नवीनता और मौलिकता: डज़ाइन नया होना चाहिये और मौजूदा डज़ाइनों से काफी अलग होना चाहिये।
 - अप्रकटीकरण: डज़ाइन का भारत या वदेश में सार्वजनिक रूप से प्रकटीकरण नहीं किया जाना चाहिये।
 - कार्यात्मक नहीं: कार्यात्मकता से प्रेरित डज़ाइन संरक्षित नहीं हैं।
 - आपत्तजनक नहीं: डज़ाइनों को सार्वजनिक नैतिकता, सुरक्षा, या अखंडता के साथ टकराव नहीं होना चाहिये।
- संरक्षण की अवधि: [ट्रेपिस समझौते](#) के तहत संरक्षण कम से कम 10 वर्षों तक रहता है जसिे नवीकरण आवेदन के माध्यम से अतिरिक्त 5 वर्षों के लिये बढ़ाया जा सकता है।
- उल्लंघन और प्रवर्तन: पंजीकृत डज़ाइन स्वामी दूसरों को उनके डज़ाइन की नकल करने वाले उत्पाद बनाने, बेचने या आयात करने से रोक सकते हैं।
- संरक्षण से बाहर रखे गए डज़ाइन: कुछ वस्तुएँ जैसे टिकिट, कैलेंडर, पुस्तकें, झंडे, और इंटीग्रेटेड सर्किट के लेआउट डज़ाइन को औद्योगिक डज़ाइन संरक्षण से बाहर रखा गया है।
 - डज़ाइन में [कॉपीराइट अधिनियम, 1957](#) के तहत परमिषति ट्रेडमार्क, संपत्ति चिह्न या कोई कलात्मक अधिकार शामिल नहीं हो सकते।



बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)

IP/बौद्धिक संपदा का तात्पर्य किसी व्यक्ति/कंपनी द्वारा सहमति के बिना बाह्य उपयोग या कार्यान्वयन से स्वामित्व/कानूनी रूप से संरक्षित अमूर्त संपत्तियों से है।



IPR के लिये आवश्यक हैं

- नवप्रवर्तन को प्रोत्साहित करना।
- आर्थिक विकास।
- रचनाकारों के अधिकारों की रक्षा करना।
- व्यापार करने में सुलभता बढ़ाना।



संबंधित कन्वेंशन/संधि (भारत ने इन सभी पर हस्ताक्षर किये हैं)

- WIPO द्वारा प्रशासित (प्रथमतः मान्यता प्राप्त IPR के अंतर्गत):
 - औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण हेतु पेरिस कन्वेंशन, 1883 (पेटेंट, औद्योगिक डिज़ाइन)।
 - साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण हेतु बर्न अभिसमय, 1886 (कॉपीराइट)।
- विश्व व्यापार संगठन (WTO)- ट्रिप्स समझौता:
 - सुरक्षा के पर्याप्त मानक सुनिश्चित करना।
 - विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिये प्रोत्साहित करना।
- बुडापेस्ट अभिसमय, 1977:
 - पेटेंट प्रक्रिया के प्रयोजन हेतु सूक्ष्मजीवों के जमाव की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता।
- मरिक्शेस VIP समझौता, 2016:
 - दृष्टिबाधित व्यक्तियों और आँखों से दिव्यांगों (print disabilities) वाले व्यक्तियों को प्रकाशित कार्यों तक पहुँच की सुविधा प्रदान करना।
- IPR को अनुच्छेद 27 (मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा) में भी रेखांकित किया गया है।



भारत की पहल और IPR

- राष्ट्रीय IPR नीति, 2016:
 - आदर्श वाक्य: "क्रिएटिव इंडिया; इनोवेटिव इंडिया"।
 - ट्रिप्स समझौते के अनुरूप।
 - सभी IPR को एक मंच पर लाता है।
 - नोडल विभाग - औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (वाणिज्य मंत्रालय)।
- राष्ट्रीय (IP) जागरूकता मिशन (NIPAM)
- बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिये कलाम कार्यक्रम (KAPILA)

विश्व बौद्धिक संपदा दिवस: 26 अप्रैल

बौद्धिक संपदा	संरक्षण	भारत में कानून	अवधि
कॉपीराइट	विचारों की अभिव्यक्ति	कॉपीराइट अधिनियम 1957	परिवर्तनीय
पेटेंट	आविष्कार - नवीन प्रक्रियाएँ, मशीनें आदि।	भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970	सामान्यतः 20 वर्ष
ट्रेडमार्क	व्यावसायिक वस्तुओं या सेवाओं को पृथक करने के लिये चिह्न	व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999	अनिश्चित काल तक रह सकता है
ट्रेड सीक्रेट	व्यावसायिक जानकारी की गोपनीयता	पंजीकरण के बिना संरक्षित	असीमित समय
भौगोलिक संकेत (GI)	विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति पर प्रयुक्त संकेतक और उत्पत्ति स्थल के वजह से विशिष्ट गुण रखते हैं	वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999	10 वर्ष (नवीकरणीय)
औद्योगिक डिज़ाइन	किसी लेख का सजावटी या सौंदर्यपरक पहलू	डिज़ाइन अधिनियम, 2000	10 वर्ष



औद्योगिक डिज़ाइन संबंधी नरिणय

- 2016: रतिकिका (एक बुटीक परधान डिज़ाइनर) ने दिल्ली उच्च न्यायालय में बीबा पर कपड़ों के पुनरुत्पादन एवं बिक्री के संदर्भ में मुकदमा दायर किया, जिसमें रतिकिका के डिज़ाइनों की नकल की गई थी जबकि ये डिज़ाइन, डिज़ाइन अधिनियम, 2000 के तहत पंजीकृत नहीं थे।

◦ इसमें न्यायालय ने फेसला सुनाया किये डज़ाइन, डज़ाइन अधनियिम, 2000 के तहतपंजीकृत नहीं थे और इस प्रकार इसमें कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

- **USA 2019:** क्रॉक्स इंक USA ने दल्लि उच्च न्यायालय में वभिनिन भारतीय फुटवयिर नरिमाताओं के खलिाफ डज़ाइन उल्लंघन का मुकदमा दायर कयिा।
 - इसमें न्यायालय ने कहा कि क्रॉक्स इंक USA इसमें उल्लंघन या चोरी का आरोप नहीं लगा सकता है क्योंकि कथति डज़ाइन में नवीनता तथा मौलकिता का अभाव है तथा डज़ाइन का वभिनिन माध्यमों से पूरव प्रकाशन हो चुका है।

नषिकरष

डज़ाइन कानून संधि(DLT) का उद्देश्य औद्योगिक डज़ाइनों की वैश्विक सुरक्षा को सरल बनाना है जिससे डज़ाइनरों के लयि अपनी बौद्धिक संपदा की सुरक्षा करना आसान एवं अधिक सुलभ हो सके। इससे एक सुवयवसथति प्रक्रयिा (जसिमें डज़ाइन, ग्रेस पीरयिड और पंजीकरण के बाद की स्पष्ट प्रक्रयिाओं के प्रावधान हैं) सुनशिचति होने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डज़ाइन सुरक्षा मज़बूत होती है।

प्रश्न: औद्योगिक डज़ाइन क्या है? हाल ही में अपनाई गई डज़ाइन कानून संधि(DLT) का उद्देश्य इसे कसि प्रकार संरक्षति करना है?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. 'राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति'(नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी)' के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2017)

1. यह दोहा विकास एजेंडा और TRIPS समझौते के प्रतभारत की प्रतबिद्धता को दोहराता है।
2. औद्योगिक नीति और संवर्द्धन वभिग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के वनियिमन के लयि केन्द्रक अभकिरण (नोडल एजेंसी) हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2019)

1. भारतीय पेटेंट अधनियिम के अनुसार, कसि बीज को बनाने की जैव प्रक्रयिा को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है।
2. भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है।
3. पादप कसिमें भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

प्रश्न: वैश्वीकृत संसार में, बौद्धिक संपदा अधिकारों का महत्त्व हो जाता है और वे मुकद्दमेबाज़ी का एक स्रोत हो जाते हैं। कॉपीराइट, पेटेंट और व्यापार गुप्तयिों के बीच मोटे तौर पर वभिदन कीजयि। (2014)

